[Mr. Speaker]

> .... They made a further mistake in leaving appointment of members of the Parliamentary Committee to a confirmed Akali who was to preside over their deliberations. He may have acquitted himself well in dealing with different parties....A High Court Judge can dispose of thousands of cases...."

Further on he says:—

> "Naturally enough he selected such men for membership on whom he could depend for support. The first proof of his natural inclinations getting the better of him can be seen in his going beyond the terms of reference. According to his appointment order he was to submit his recommendations to the Cabinet Sub-committee. But he wants to get his recommendations confirmed and backed by the Parliament over which he himself presides. In this way he seeks to make his recommendations mandatory on the Cabinet."

Then, there is a reference to the dishonesty of the members as well.... (*Interruption*). With the permission of the House I may send it on to the Committee.

Shri S. M. Banerjee: Yes.

Some hon. Members: Yes.

Shri Hem Barua (Gauhati): Please send it to the Privileges Committee.

12.02 hrs.

Re: POINT OF ORDER

Mr. Speaker: Papers to be laid on the Table.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): On a point of order, Sir.

Mr. Speaker: How can there be a point of order at this stage?

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): That papers should not be laid on the Table.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): इसके पहले कि ग्राप दूसरी चीज को लें मैं विशेषाधिकार का जो मामला है, उसके बारे में कुछ ग्रर्ज करना चाहता हूं . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार वाले मामले को तो हाउस ने ग्रपनी मंजूरी दे दी है ।

श्री मधु लिमये : उसके बारे में कुछ नहीं कहना है । मैंने एक नोटिस दिया था उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्रिणी श्रीमती सुचेता कृपलानी ने जो . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप ठहर जाइये ।

श्री मधु लिमये : एक मिनट मेरी ग्रर्ज सुन लीजिये ।

ग्रध्यक्ष महोदय: इस तरह से ग्रगर हरएक मैम्बर खड़ा हो जाए ग्रौर जो कुछ भी उसको कहना है वह कहता चला जाये, जो जो नोटिस दिये हैं उनके बारे में कहता चला जाए ग्रौर मैं सुनता चला जाऊं तो इस तरह से तो खत्म ही नहीं हो सकता है कोई मामला ग्रौर कोई कार्रवाई ही नहीं चल सकती है । मैं ग्रर्ज करूंगा कि ग्राप लिख दें ग्रौर मैं ग्रगर समझूंगा कि ग्रापको मौका दिया जाए तो जरूर मौका दें दूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फरुखाबाद): मेहरबानी करके मेरी भी एक गुजारिश सुन लें . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रापको मैंने इजाजत नहीं दी है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं ग्रापका ध्यान 376 की दूसरी उपधारा की तरफ दिलाना चाहता हूं । मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त किसी पर नहीं हो सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : लिखा हुआ है और आप पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा । कोई चीज समझनी तो होगी न ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त कोई मामला सामने नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया आप पढ़िये न कि क्या लिखा हुआ है । 376 और 377 जो नियम हैं. . .

अध्यक्ष महोदय मामला इस वक्त हाउस के सामने क्या है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : इस में लिखा हुआ है :

> "Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another".

अध्यक्ष महोदय : इस में इजाजत मांगने की बात है । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कायदे कानून के मुताबिक तो चलना होगा, स्वेच्छा से तो नहीं चल सकते हैं । कायदे तोड़कर नहीं चल सकते हैं । मैं पिछले दस दिन से न जाने किन-किन मामलों पर 377 के मामलों में लिख रहा हूं । यह 377 नियम हमारी किताब में है । 377 के बारे में आप मेहरबानी करके सोचना शुरू क । 377 में कहा गया है कि एक नुक्ता कोई भी मेंबर उठा सकता है । सिर्फ नुकता लिखा हुआ है । प्वाइंट लिखा हुआ है। इस प्वाइंट के बारे में यहां पर कोई न कोई निर्णय होना चाहिये । उसका किसी भी मामले से संबंध हो सकता है जोकि सार्वजनिक महत्व का हो । मैं बताऊं कि इन नियमों में कम से कम आठ नियम ऐसे हैं जो इस तरह के हैं । एक 54 है जोकि अल्प सूचना के प्रश्न को ले कर है । एक 56 है जोकि स्थगन प्रस्ताव को ले कर है । एक 170 है जो प्रस्ताव को ले कर है । एक 184 है । एक 193 है जो बहस के बारे में है । ये सब के सब सार्वजनिक महत्व के हैं । 197 ध्यानाकर्षण के बारे म है । और 377 है नुक्ता । यह नुकते वाला जो नियम है इसके इस्तेमाल को आप कभी इजाजत नहीं देते हैं । यह फिर यहां रखा क्यों गया है ? अगर कोई यह क . . .

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहस नहीं कर सकते हैं कि क्यों रखा गया है । यह तो वाइडर क्वेश्चन है । इसको आप किसी और वक्त ले सकते हैं । आप नोटिस दें कि यह नियम रखा क्यों गया है। इसको मैं तब रूल्ज कमेटी के पास भेजूंगा । वहां आप भी आयें और आप भी बहस करें और वहां उनको यकीन दिलायें कि इसको उड़ा देना चाहिये या इस में तरमीम करनी चाहिये । बाकी जो स्वाल है, उसको जब तक में कंसेंट नहीं देता हूं आप उठा नहीं सकते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप जानते हैं कि देश के सामने हजारों किसम के प्रश्न हैं । लोक सभा उन से महरूम रह जाती है . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह है कि मैं कुछ भी कहता जाऊं आप जरूर उठायेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : 377 की तरफ आपका ध्यान में दिला रहा हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं पढ़ कर कहता हूं कि जब तक कंसेंट न हो आप नहीं उठा सकते हैं । आपने जो बेसिक सवाल उठाया है कि इसको रखा क्यों है तो इसके बारे में मैंने कहा है कि नोटिस दीजिये और मैं रूल्ज कमेटी के पास इसको भेज दूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब कभी नोटिस देते हैं तो आप 377 को काट देते हैं 77 से और कभी किसी दूसरी धारा से काट देते हैं । एक दूसरी को काटने का क्रम चलता रहता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय . .

अध्यक्ष महोदय : एक खत्म हुआ है और दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ है . . .

श्री स० मो० बनर्जी : आप नाराज न हों । अगर आप चाहें तो बाद में मैं बता दूं ।

अध्यक्ष महोदय : नाराजगी का कोई सवाल नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं । ठीक होने या न होने का कोई इस में सवाल नहीं है । एक काम खत्म हुआ है और दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ है, इस वास्ते मैंने कहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा हूं । हो सकता है कि मेरी नादानी हो । लेकिन मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं । मैं आपका ध्यान 376(1) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । इस में लिखा हुआ है . . .

It says:

> "A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

I would also invite your kind attention to Rule 197 which clearly says:

> "A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement. . . ."

Now, Sir, my submission is only this. I gave the calling atention notice not only today but even yesterday on a particular matter which purely concerns the Central Government, that is regarding the hunger-strike of 40000 Audit employees protesting against the non-recognition of their Union. You have given some interpretation to it and on the basis of that interpretation, you have rejected it.

Sir, my point of order relates to the interpretation or the enforcement of these rules. Yesterday, about the textile workers' strike, we argued that there might be 50 per cent responsibility belonging to the State Government. But here 40,000 Audit employees throughout the country are on hunger-strike today because they cannot ventilate their grievances against the tyranny of the Comptroller and Auditor General who enjoy a certain privilege under the Constitution. Here, the Minister does not make any statement. My point of order is whether this calling attention notice to a matter of public importance which is purely within the purview of the Central Goernment can be rejected like this and whether I should be given a chance to explain the reasons as to why it is a Central matter, it is a matter of public importance, and that the Minister should make a statement on it.

Mr. Speaker: After all this, we again come to the same position. Supposing I have rejected a calling attention notice and that the ground on which I have rejected it does not seem to be satisfactory to the hon. Member, the question is whether he can raise it here or not. That is the only question.

Shri S. M. Banerjee: We do not know the grounds. Today, 40,000 Audit employees are on hunger-strike.

Mr. Speaker: The grounds are not given, they are never given. If he has any objection, he can come to me and say what he has to say. I can consider what he has said already or he might send it to me in writing. That is all.

Shri S. M. Banerjee: There is no sitting tomorrow or the day after. How can it be done? A little intervention on the part of the Minister can save the situation.

Mr. Speaker: Even today I can consider it. I would not postpone it to Tuesday.

Shri S. M. Banerjee: I request you kindly to ask the Minister to make a statement on this.

Mr. Speaker: I might agree with him....

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : यह हवा सारे देश में फैल रही है । बोनस के बारे में अब तक हड़ताल हो रही है, तालाबन्दी हो रही है सारे देश में परिस्थिति ऐसी है इस के बारे में अनेक बार नोटिसें दी जाती हैं लेकिन कह दिया जाता है कि यह राज्य सरकारों का सवाल है इस लिये यहां नहीं रक्खा जा सकता मैं कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : इसी तरह से भुखमरी का सवाल है ।

Shri Nath Pai (Rajapur): When do you want a discussion to be taken up on the question of recognition of the union of audit employees? We do not want to embarrass you by challenging your ruling. You also sometimes have to help in a matter like this. The matter is within the purview of the Union Government. These are Union Government employees; they have a grievance. The Government can be persuaded to make a statement as to why, even after six years—after this strike—it has been hanging fire. I do not think that this is unwarranted.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री जी फेल हुए हैं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अकाऊंटस वालों की भूख हड़ताल आज खत्म होगी । छः साल पहले इस यूनियन की मान्यता को छीन लिया गया था । उस के बाद गृह-मंत्रालय ने कहा कि उन को मान्यता दे दी जाये । गृह मंत्रालय की राय को नहीं माना गया । फिर सन् 1963 में आडिटर जनरल ने यह सुझाव दिया कि अगर यूनियन के नेतृत्व में तब्दीली होगी तो मान्यता दी जायेगी । यूनियन ने इस अपमानजनक शर्त को भी कबूल किया, जो कि नहीं करना चाहिये था । लेकिन इस के बावजूद भी न तो उस को मान्यता मिली और न मुअत्तिल लोगों को काम पर वापस लिया गया । इस लिये बहुत जरूरी है कि मंत्री महोदय इस के बारे में एक बयान दें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सड़क मैं ने खोली और चलने आप ने दूसरों को दिया ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी उस सड़क पर चल लें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक बहुत जरूरी सवाल आ गया है देश के सामने कि किसी विधायिका के अन्दर व्यवस्था रखना किस का कर्त्तव्य है । हर विधायिका के लिये, चाहे अपनी लोक सभा हो चाहे प्रान्तीय सभायें हों, एक अफसर रहता है अध्यक्ष महोदय । फिर और अफसर रहते हैं । तो किसी भी सदन में व्यवस्था कायम रखने के लिये अफसर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह हैं । उन के अलावा और कोई है नहीं । यहां तक कि इंगलिस्तान में राजा और रानी जो होती हैं वह सदन में प्रवेश तक नहीं कर सकतीं । उन को निकाल दिया जायेगा, वह बाहर ही रहेंगे सिवा एक मौके को छोड़ कर, और वह भी हाउस आफ लार्डस में । ऐसी स्थिति में यह प्रश्न बड़ा

[डा० राम मनोहर लोहिया]

विचारणीय हो गया है कि क्या किसी राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, गवर्नर को, विधायिका के सदस्यों को बाहर निकालने का हक है। यह प्रश्न मैं यहां उठाना चाहता हूं। देखिये, मैंने अब तक किसी प्रदेश का नाम नहीं लिया लूंगा भी नहीं। अगर इस प्रश्न को आप यहां नहीं उठाने देते . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप उस रास्ते से गुजर गये। आप बैठ जाइये। पहले तो मुझे आप से यही दरखास्त करनी थी कि बैठ जाइये। आप का खुद इकरार था कि आप ने रास्ता खोला। यह काबिले ऐतराज है कि आप ऐसा रास्ता खोलें जो कि बन्द हो और जो मैं नापसन्द करता होऊं। जो खुद आप ने कबूल किया है वह रास्ता खोलना काबिले ऐतराज था और उस से आप ने मेरे लिये कितनी तकलीफात पैदा की। मुझे कम से कम छः और मेम्बर साहबान को सुनना पड़ा। आप इस में खुश तो होंगे कि आप ने रास्ता खोल दिया लेकिन आप ने अच्छा नहीं किया।

12.13 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF THE INSTRUMENTATION LIMITED, KOTA, ETC.

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(1) (i) Annual Report of the Instrumentation Limited, Kota for the year 1964-65 along with the Audited Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company.

[*Placed in Library. See* No. LT-5683/66].

(2) (i) Annual Report of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi for the year 1964-65 along with the Audited Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (1) of section 619 of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company.

[*Placed in Library. See* No. LT-5684/66].

(3) (i) Annual Report of the Forest Industries (Travancore) Limited, Alwaye for the year ended 31st March, 1965 along with the Audited Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (3) of section 619A of the Companies Act, 1956 read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965 issued by the Vice-President discharging the functions of the President in relation to the State of Kerala.

(ii) Review by the Government of Kerala on the working of the above Company.

[*Placed in Library. See* No. LT-5685/66].

(4) A copy each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951:—

(i) Report (1963) of the Tariff Commission on 'Fair selling prices of safety matches.'

(ii) Government Resolution No. 37(1)/64-L.Ind.(II) dated the 27th November, 1965.